न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./132/2022/बाड़मेर

अपीलांटस **रेस्पोडेंटगण**

दिनेश कुमार पुत्र श्री भीखाराम जाति विश्नोई निवासी भाखरो की ढाणी भलीसर तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. मंगलाराम पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई निवासी भाखरो की ढाणी भलीसर 2. धुडाराम पुत्र बांकाराम का.मु. 2/1हरीराम पुत्र धुड़ाराम का मु. 2/1/1सुरेश पुत्र हरीराम 2/1/2रमेश पुत्र हरीराम 2/1/3अशोक पुत्र हरीराम 2/1/4बीरबल पुत्र हरीराम 2/1/5हीरा पत्नी हरीराम 2/2सोहनलाल पुत्र धुड़ाराम 2/3किशनलाल पुत्र धुड़ाराम 2/4मोहनलाल पुत्र धुड़ाराम 2/5मीरगा पुत्री धुड़ाराम जाति विश्नोई निवासी भाखरो की ढाणी भलीसर तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार धौरीमन्ना

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./133/2022/बाड़मेर

अपीलांटस **रेस्पोडेंटगण**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनेश कुमार पुत्र श्री भीखाराम जाति विश्नोई निवासी भाखरो की ढाणी भलीसर तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. मंगलाराम पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई निवासी भाखरो की ढाणी भलीसर 2. धुडाराम पुत्र बांकाराम का.मु. 2/1हरीराम पुत्र धुड़ाराम का मु. 2/1/1सुरेश पुत्र हरीराम 2/1/2रमेश पुत्र हरीराम 2/1/3अशोक पुत्र हरीराम 2/1/4बीरबल पुत्र हरीराम 2/1/5हीरा पत्नी हरीराम 2/2सोहनलाल पुत्र धुड़ाराम 2/3किशनलाल पुत्र धुड़ाराम 2/4मोहनलाल पुत्र धुड़ाराम 2/5मीरगा पुत्री धुड़ाराम जाति विश्नोई निवासी भाखरो की ढाणी भलीसर तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2020 बअनवान मंगलाराम बनाम धूड़ाराम का.मु. हरीराम का.मु. सुरेश वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 व 27.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकार बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 27.11.2024

हस्तगत दोनों ही अपीले एक ही आराजी एवं समान खातेदारों के मध्य विवाद के बिंदुओं को लेकर है इसलिए निर्णय दोनों ही अपीलों का साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक पृथक अपील पर रखी जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम भाखरो की ढाणी पटवार मण्डल भलीसर के खेत खसरा संख्या 340 रकबा 116.16 बीघा का आया हुआ है जिसमें वादी (उतरदाता संख्या 1) का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 (उतरदाता संख्या 2) का है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए नहीं होने के कारण वादी को ऋण लेने में एवं भूमि सुधार करने में भारी असुविधा हो रही है इसलिए वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलकर्ता वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 340 का रेकर्डेड खातेदार है एवं अपीलकर्ता द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या 1 धुड़ाराम से वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 340 में उसके 1/2 हिस्से में से 14.12 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.09.2020 को नकद प्रतिफल अदा कर खरीद की गई थी। वादीगण द्वारा जानबुझकर अपीलकर्ता को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण जब प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात अपीलकर्ता के विक्रेता को नोटिस प्राप्त हुआ तो उसके द्वारा भी न्यायालय में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की एवं तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 का निधन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामों को हस्तगत प्रकरण में बतौर विधिक वारिशान के तौर पर संयोजित किया गया था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामों द्वारा अपीलकर्ता को बेची गई भूमि का तथ्य छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में इकबाली जबाव प्रस्तत कर दिया जबकि वादग्रस्त खेत में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से में से 14.12 बीघा भूमि का बेचान किया जा चुका था। अपीलांटस वादग्रस्त खेत के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धौरीमन्ना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वादी के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति देते हुए अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटस का नाम ही नहीं था। बंटवारे के दावे में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम होने पर ही पक्षकार संयोजित किया जा सकता है। अपीलांटस स्टेंजर खरीदार है। अपीलांटस द्वारा खातेदार धुड़ा से जमीन खरीद की है इसलिए अपीलांटस अपने हक की भूमि धुड़ा के हिस्से में से ही ले सकता है। वादी/उतरदाता के विरूद्ध अपीलांटस की अपील चलने लायक ही नहीं है। अपीलांटस हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने के अधिकारी ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। इसलिए अपीलांटस द्वारा पेश प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व ही दिनांक 15.09.2020 को अपीलाधीन आराजी में से भूमि को क्रय करने के कथन कर रहा है। जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने तक अपने नाम से नामांतकरण क्यों नहीं भरवा सका इसका जबाव नहीं दे पाया। इससे साफ जाहिर है कि अपीलांटस को हस्तगत वाद की संपूर्ण जानकारी थी उसके जावबूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा अपील के जरिये प्रकरण को अनावश्यक चुनौति दे रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की गई लेकिन उसमें हिस्सों को लेकर कोई एतराज नहीं बताया गया है इससे साफ जाहिर होता है कि हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। लिहाजा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पेश अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा अपनी उपस्थिति में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपीले खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2020 बअनवान मंगलाराम बनाम धूड़ाराम का.मु. हरीराम का.मु. सुरेश वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 व 27.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर